3-11.18-1000फार्म

APP-A
Crim-II

FORM NO. III

आपराधिक नं० 2022/225

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम अति० जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

बनाम रामजीलाल बनाम मुकेश वगैरा

धारा प्रावधान 145(1) नं. 16/16/2022 सन्
15/9/2022

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख वह हुक्म जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
27.6.23 आज फरियादी पेश हुई वकील श्री ओ०पी० यादव का अवलोकन किया गया। पत्रावली के विचाराधीन प्रावधान 145(1) के सम्बन्धित प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ प्रकरण 16/248/23 दिनांक दिनांक 20/3/23 रामलाल जिला कलक्टर अलवर के द्वारा उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के आदेश क्रमांक 5465 दिनांक 4.3.22 को निरस्त कर पेश हुआ है। उक्त विचाराधीन प्रावधान 145(1) में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने पर प्रावधान 145(1) की कार्यवाही बन्द किया जाती है। फरियादी: फैसल मुताबिक होकर डाकिया अलवर है।	

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)